प्रपत्र- 30.2

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बाड़ीकोट – खुरेरी (कोटियाग) मोटर मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी........................

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति........ भिकियासैण........

उपखण्ड भिकियासैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत बाड़ीकोट से खुरेरी (कोटियाग) मो०मार्ग (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.991 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.991 हे0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भिकियासैण) की दिनांक 25-11-14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एन० एस० नबियाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है–

1– श्री एन० एस० नबियाल उपजिलाधिकारी भिकियासैण अध्यक्ष [signature]

2– श्री बी० एस० मीना उप प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा सदस्य [signature]

3– श्री आर० एस० रावत सहायक समाज कल्याण अधिकारी भिकियासैण सदस्य / सचिव [signature]

4– श्री हर्ष सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र बाड़ीकोट सदस्य [signature]

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बाड़ीकोट से खुरेरी (कोटियाग) मोटर मार्ग के निर्माण परियोजना हेतु 0.991 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

1·66

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...अल्मोड़ा...... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मांननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ......भिकियासैण...... परिक्षेत्र के अन्तर्गत......बाड़ीकोट से खुरेरी (कोटिभाग)......परियोजना के निर्माण हेतु ...0·991... हे0 वन भूमि ......ग्राम्य विकास विभाग...... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

हर्षसिंह मावड़ी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत बाड़ीकोट
वि0ख0-भिकियासैन (अल्मोड़ा)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-......
जनपद ......

उपजिलाधिकारी
भिकियासैन
जिला-अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ...अल्मोड़ा...... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी
भिकियासैन
जिला-अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-......
जनपद......

1.6 C

प्रपत्र– 30.3

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वाडीकोट - खुरेरी (कोटियाग) मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खुरेरी

तहसील भिकियासैंण, **जिला** अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वाडीकोट - खुरेरी (कोटियाग) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.991 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि .... हे0) अर्थात कुल 0.991 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत खुरेरी द्वारा दिनांक 08-10-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खुरेरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ — ह0/–

ग्राम सचिव — ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र खुरेरी
विकास खण्ड भिकियासैंण

प्रधान
ग्राम पंचायत खुरेरी
वि0ख0–

नोट :– **यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।**

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1·6 d

प्रपत्र-30.1

दिनांक 08-10-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :– खुरेरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दौलतसिंह	दौलतसिंह
2	चन्दनसिंह	चन्दनसिंह
3	हीरासिंह	हीरासिंह
4	गंगासिंह	गंगासिंह
5	भगतसिंह	भगतसिंह
6	चन्द्रसिंह	Chandra Singh
7	राजेन्द्रसिंह	Rajesh
8	गोपालसिंह	गोपालसिंह
9	जसवन्तसिंह	जसवन्त सिंह
10	नरीराम	नरीराम
11	हरीराम	हरीराम
12	गोपालराम	गोपालराम
13	मोहनराम	मोहनराम
14	गंगादेवी	गंगादेवी
15	गोविन्दीदेवी	गोविन्दी देवी
16	कमलादेवी	कमलादेवी
17		
18		
19		
20		

प्रधान ग्राम पंचायत खुरेरी
वि0ख0—भिकियासैन (अल्मोड़ा)

ह0/

ग्राम प्रधान

1.6 ए

प्रपत्र–3ओ3

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वाड़ीकोट – खुरेरी (कोटियाग) मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कोटीयाग

तहसील भिकियासैण, **जिला** अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वाड़ीकोट – खुरेरी (कोटियाग) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.991 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 0.991 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत कोटियाग द्वारा दिनांक 02-10-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोटियाग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ — ह0/–

ग्राम सचिव — ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र कोटियाग
विकास खण्ड भिकियासैण

प्रधान
ग्राम पंचायत कोटियाग
वि0ख0 भिकियासैन (अल्मोड़ा)

नोट :– **यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।**

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-30.4 1·6 f

दिनांक 08-10-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :- कोटियाग

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पूरनसिंह	[illegible]
2	खुशालसिंह	[illegible]
3	खीमसिंह	खीमसिंह
4	मोहनसिंह	मोहनसिंह
5	भूपालसिंह	भूपालसिंह
6	हरसिंह	[illegible]
7	बंशीधर	[illegible]
8	हर्षसिंह	[illegible]
9	पदमसिंह	पदमसिंह
10	भवानसिंह	भवानसिंह
11	जीवनसिंह	जीवनसिंह
12	भुवनसिंह	भुवनसिंह
13	हसीदेवी	हसीदेवी
14	राधिका देवी	राधिकादेवी
15	दुर्गादेवी	दुर्गादेवी
16		
17		
18		
19		
20		

– ह0/–

[illegible]

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत कोटियाग
वि0ख0 भिकियासैन (अल्मोड़ा)